प्रेस विज्ञप्ति

29/04/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने 28/04/2025 को मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल, इंदौर, मंदसौर आदि में विभिन्न शराब ठेकेदारों से संबंधित 13 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 7.44 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई और बैंक खातों में कुल 71 लाख रुपये की खाता शेष राशि और बैंक लॉकर फ्रीज कर दिए गए। इसके अलावा, तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी पाए गए और जब्त किए गए।

ईडी ने शराब ठेकेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत इंदौर के रावजी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर मामले में जांच शुरू की, जिसमें ट्रेजरी चालान में जालसाजी और हेरफेर के माध्यम से 49.42 करोड़ रुपये (लगभग) के सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने और वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान शराब के अधिग्रहण के लिए अवैध रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि आरोपी शराब ठेकेदार छोटी-छोटी रकम के चालान तैयार कर बैंक में जमा कर देते थे। चालान के निर्धारित प्रारूप में "रुपये अंकों में" और "रुपये शब्दों में" लिखा होता था। मूल्य अंकों में भरा जाता था, लेकिन 'रुपये शब्दों में' के बाद रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता था। राशि जमा करने के बाद जमाकर्ता बाद में उक्त रिक्त स्थान में बढ़ी हुई राशि लाख हजार के रूप में लिख देता था और ऐसी बढ़ी हुई राशि के तथाकथित चालान की प्रतियां संबंधित देशी शराब गोदाम में या विदेशी शराब के मामले में जिला आबकारी कार्यालय में जमा कर दी जाती थीं। देशी शराब गोदाम या जिला आबकारी कार्यालय इंदौर में अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर राशि को मदिरा शुल्क/मूल लाइसेंस शुल्क/न्यूनतम गारंटी के रूप में जमा कर मदिरा आपूर्ति की मांग के विरुद्ध एनओसी प्राप्त कर ली जाती थी या वार्षिक लाइसेंस शुल्क/मूल लाइसेंस शुल्क/न्यूनतम गारंटी ली जाती थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।